छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/03/2024

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Prakash Industries Pvt. Ltd. for non-forestry use of 515.581 ha (201.806 ha for Underground mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal No. FP/CG/MIN/149564/2021)-regarding

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-09/2023-FC, दिनांक 21.08.2023।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–306/615, दिनांक 01.03.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मयंक पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/03/2024

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

4819

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–306/615 रायपुर, दिनांक 01/03/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Prakash Industries Limited for Non-Forestry use of 515.581 Ha. (201.806 Ha. For Undergroung Mining) of forest land for Coal Mining in Bhaskarpara Coal Block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal – FP/CG/MIN/149564/2021) – Rgd.**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, FC Division नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-09/2023-FC दिनांक 21.08.2023

2. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–01/2023/10–2 दिनांक 11.09.2023

3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र.–151/2024/720 दिनांक 26.02.2024

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.08.2023 द्वारा Bhaskarpara Coal Block से कोयला उत्खनन हेतु खुली खदान रकबा 313.775 हे. एवं भूमिगत खदान रकबा 201.806 हे. कुल प्रस्तावित रकबा 515.581 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति (In-principal/ Stage-I) प्रदान की गई है। जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दी गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति (In-principal/ Stage-I) के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से अनुशंसा सहित प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का आवश्यक वचन पत्र संलग्न है। **Annexure -1**
ii.	The Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over equivalent non-forest land in lieu of the area proposed for open cast mining i.e. 313.775 ha non-forest land	प्रकरण के व्यपवर्तन प्रस्ताव में 515.581 हे. मे से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का चयन निम्नानुसार वनमण्डलो में किया

<table>
<tr>
<td></td>
<td>at the cost of user agency. As far as possible, amixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. With provision for ten years on subsequent maintenance;</td>
<td>गया है।
<table>
<tr><th>क्र</th><th>वनमण्डल का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>खैरागढ</td><td>आमगांव, जामगांव, एवं खादी</td><td>56.248</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बलरामपुर</td><td>सावनी एवं डुमरखोली</td><td>83.454</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जांजगीर–चांपा</td><td>सरागांव, अफरीद, झर्रा, कमरीद, पचौरी, मुड़पार एवं बोकरेल</td><td>174.085</td></tr>
<tr><td colspan="3">योगः–</td><td>313.787</td></tr>
</table>
वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा। उक्त चयनित क्षेत्र पर आवेदक संस्थान से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई राशि 291575659.00 रुपये से वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण एवं रख–रखाव का कार्य किया जावेगा।
Annexure -2, 3 & 4 (Colly.)</td>
</tr>
<tr>
<td>iii</td>
<td>The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval;</td>
<td>उक्त प्रकरण के व्यपवर्तन प्रस्ताव में 515.581 हे. मे से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का चयन खैरागढ वनमण्डल, बलरामपुर वनमण्डल एवं जांजगीर–चांपा वनमण्डल मे किया गया । 313.787 हे. वनविभाग के पक्ष में हस्तातरित की जा चुकी है। तदानुसार अधिसूचना प्रस्ताव अधिसूचित करने हेतु शासन को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है
1. रकबा 56.248 हे. का अधिसूचना प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2613 दिनांक 29.11.2023 से शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया।
2. रकबा 50.030 हे. का अधिसूचना प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2680 दिनांक 05.12.2023 से शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया।
3. रकबा 207.509 हे. का अधिसूचना प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 593 दिनांक 28.02.2024 से शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया।
Annexure -5 (Colly.)</td>
</tr>
</table>

iv	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited through online e-portal into the CAMPA account in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि रू0 291575659.00 (उन्तीस करोड़ पन्द्रह लाख पछत्तर हजार छः सौ उनसठ रुपये) कैम्पा मद के यूनियन बैंक के खाता क्रमांक–1506458149564047 दिनांक 29.01.2024 को जमा किया गया है। NEFT/RTGS के माध्यम कैम्पा खाता में जमा ऑन लाईन भुगतान की छायाप्रति संलग्न है। **Annexure -6**
v	As in the part of Revenue Forest Land proposed to be diverted there are settlements of approximately 51 families and the user agency has given an undertaking that these families/people will also be resettled and will be included in part of R&R plan. The State Govt. shall implement the R&R Plan and submit an undertaking in this regard;	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -7**
VI	The State Govt. shall submit an undertaking stating that in future the underground mining will not be converted to open cast mining with regard to the instant proposal and any such proposal shall not be considered in future;	भास्करपारा कोयला खनन परियोजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले में सूरजपुर वनमण्डल के कुदरगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वनभूमि 148.795 हे. तथा ग्राम राजस्व वनभूमि 366.786 हे. कुल वनभूमि रकबा 515.581 हे. में से खुली खदान हेतु 313.775 हे. एवं भूमिगत खदान हेतु 201.806 हे. भूमि प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत खनन क्षेत्र को खुली खदान मे परिवर्तित नहीं किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -8**
VII	The forest area earmarked for underground mining and to be kept as un- disturbed needs to be demarcated and appropriately protected by the user agency under the super vision of State Forest Department. The area shall be demarcated and protection plan in this regard shall be prepared;	आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत खदान क्षेत्र को व्यवस्थित रखने हेतु सीमाकन किया जायेगा जिस हेतु संस्थान द्वारा वचन–पत्र के साथ सुरक्षा योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है छायाप्रति संलग्न है। **Annexure -9 & 9a**
VIII	State Govt. shall identify the areas for gap plantations in the forest area earmarked for underground mining and to be kept as un-disturbed. The State	भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में प्रभावित भूमिगत खदान के लिये वनक्षेत्र में गैंप प्लानटेशन हेतु कक्ष क्रमांक

	Govt. shall submit a detailed scheme in this regard;	पी 1620 रकबा 3.090 हे. एवं नारंगी वनक्षेत्र (ग्राम–बडसरा) में रकबा 4.138 हे. में किया गया है, उक्त चयनित क्षेत्र का परियोजना प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है। **Annexure -10**
IX	The KML files of diverted area, the CA areas, the proposed SMC treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;	भास्करपारा कोयला खनन परियोजना का व्यपवर्तित क्षेत्र, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित भू–जल संरक्षण उपचार क्षेत्र एवं वन्यप्राणी प्रबंधन योजना क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर द्वितीय चरण अनुमति से पूर्व अपलोड कर दी जायेगी।
X	The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -12**
XI	The Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency, if any;	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -13**
XII	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022;	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/5–3/211–FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के निर्देशानुसार उक्त व्यपवर्तन प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 515.581 हे. मे से खुली खदान हेतु 313.775 हे. हेतु आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु0 232464855.00 (तेईस करोड़ चौबीस लाख चौसठ हजार आठ सौ पचपन रुपये) कैम्पा मद के खाता क्रमांक–1506458149564672 दिनांक 01.01.2024 को जमा किया गया है। NEFT/RTGS के माध्यम कैम्पा खाता में जमा ऑन लाईन भुगतान की प्रति संलग्न है। **Annexure -14**
XIII	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -15**

XIV	Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of CAMPA pertaining to the State concerned through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि रू0 291575659.00 (उन्तीस करोड़ पन्द्रह लाख पछत्तर हजार छः सौ उनसठ रुपये) कैम्पा मद के यूनियन बैंक के खाता क्रमांक–1506458149564047 दिनांक 29.01.2024 को जमा किया गया है। NEFT/RTGS के माध्यम कैम्पा खाता में जमा चालान की छायाप्रति संलग्न है। **Annexure -6**
XV	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence, along with compliance of Stage-I approval, as prescribed by this Ministry's letter No. 11- 9/1998-FC (Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013, in support thereof;	उक्त प्रकरण हेतु वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर जिला सूरजपुर का पत्र क्रमांक/108/भू–अर्जन/2012 दिनांक 24.02.2012 के द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। **(छायाप्रति संलग्न)** आवेदक संस्थान के द्वारा उक्त प्रकरण में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत् वर्ष 2012 के पश्चात् वितरित किये गये वन अधिकार पत्रों की सूची प्रदान हेतु लेख किया गया जिसके परिपेक्ष्य में कलेक्टर जिला सूरजपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/447/अ.भू.अ./2023 दिनांक 05.08.2023 के अनुसार उक्त खनन परियोजना क्षेत्रानांतर्गत वर्ष 2012 के पश्चात् कोई भी वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रकरण लंबित नहीं है। **(छायाप्रति संलग्न) Annexure -16**
XVI	Following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertaken in the lease area by the User Agency under the supervision of the State Forest Department. Approved scheme/plan shall be submitted to the Ministry along with compliance of Stage-I approval:	
a	Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three year with effect from the issue of Stage-II clearance in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department. -	प्रकरण के खनन क्षेत्र में भू–क्षरण रोकने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना प्रतिवेदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना में उल्लेखित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -17 & 17a**
b	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;	
c	Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;	
d	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in	

	accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28^0; and	
e	No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.	
XVII	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located in the area within 100 meter from outer perimeter of the mining lease. The plan for plantation and SMC activities will be prepared and submitted to MoEF&CC before Stage-II Clearance;	भास्करपारा कोल खनन परियोजना के व्यपवर्तित वनभूमि क्षेत्र के बाहरी परिधि से 100 मीटर के भीतर उपलब्ध भूमि पर आवेदक संस्थान द्वारा भू–जल संरक्षण कार्य का योजना तैयार कर संलग्न की गई है। **Annexure -18 & 18a**
XVIII	The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake desilting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed approved plan for desilting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF& CC before Stage-II approval;	भास्करपारा कोल खनन परियोजना के लीज क्षेत्र से 5.00 कि. मी. के भीतर में स्थित जल संरचनाओं का जी.पी.एस. कोर्डिनेट के साथ आवेदक संस्थान द्वारा योजना प्रस्तुत की गई । उक्त क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ के द्वारा 40 नग तालाबों का जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। एवं आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत योजना की प्रति संलग्न है। **Annexure -19 & 19a**
XIX	**Safety Zone Management:** Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per para 7.9 of Chapter 7 of Handbook of FC Act 1980 issued in 2019.	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -20**
XX	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -21**
XXI	**Wildlife Management Plan:** Site specific Wildlife Management Plan to mitigate the impact of project on wildlife of the area shall be prepared by the state Government in consultation with the PCCF & Chief Wildlife Warden of State at project cost and an approved copy of the same along with detail of deposition of funds into the	वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ नवा रायपुर का आदेश क्रमांक/ व.प्रा./प्रबंध–550/106 दिनांक 23.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कुल आवश्यक अनुमोदित राशि रू0 34595000.00 (तीन करोड़

	CAMPA account shall be submitted to the Ministry along with Stage-I compliance;	पैतालिस लाख पंचानबे हजार) कैम्पा मद के यूनियन बैंक के खाता क्रमांक– 1506458149564047 दिनांक 29.01.2024 को जमा किया गया है। NEFT/RTGS के माध्यम कैम्पा खाता में जमा चालान की छायाप्रति एवं वन्यप्राणी प्रबंधन योजना संलग्न है। **Annexure -22**
XXII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/); में अपलोड किया गया है।
XXIII	Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -23**
XXIV	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -24**
XXV	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Addl. Principle Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities area satisfactorily executed;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -25**
XXVI	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -26**

	(Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;	
XXVII	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक **IA-J-11015/90/2021-IA-II(M)** dated 18-09-2023 के द्वारा पर्यावरण स्वीकृत जारी की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **Annexure -27**
XXVIII	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -28**
XXIX	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -29**
XXX	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -30**
XXXI	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -31**
XXXII	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -32**
XXXIII	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -33**
XXXIV	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -34**

	authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	
XXXV	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -35**
XXXVI	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन–पत्र संलग्न है। **Annexure -36**

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर के माध्यम से प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अनुशंसा सहित 02 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–306/ 616 रायपुर, दिनांक 01 /02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. **निदेशक,** मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लि. सीपत रोड़, बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़